


आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा की अनुपालना में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि 30 सितम्बर 2023 तक बढ़ायी जाकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे महंगाई राहत कैम्प' के दौरान विशेष काउन्टरों को सम्मिलित करते हुए विशेष शिविर दिनांक 24.04.2023 से 30.06.2023 तक की अवधि हेतु पूर्व में विभागीय आदेश दिनांक 17.04.2023 जारी किए जा चुके हैं। उक्त आदेशों की निरन्तरता में निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं :-

1. समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास उनसे संबंधित नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका में लगने वाले वार्ड वार्ड शिविरों में काउन्टर स्थापित कर अभियान से संबंधित कार्य संपादित करवाये जाकर आमजन को राहत पहुंचाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. शिविरों में संबंधित प्राधिकरण/न्यास के उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, नगर नियोजन अधिकारी, तकनीकी अधिकारी एवं संबंधित स्टाफ उपस्थित रहेगा।
3. शिविरों में अभियान से संबंधित पत्रावलियां/दस्तावेज/प्रपत्र/फार्म एवं अन्य स्टेशन आईटम के साथ ही कम्प्यूटर/प्रिन्टर एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावें।
4. शिविरों पर होने वाले व्यय संबंधित न्यास/प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।


(कुंजी लालमीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

19/4/23